

स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ रेंज में लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग एन0एच0-56 (नया एन0 एच0-731) के चैनेज-54.86 से चैनेज- 64.00 तक दायी पटरी पर NATURAL GAS PIPE LINE बिछाये जाने हेतु 0.4562 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी तथा हैदरगढ़ व हरख रेंज के अन्तर्गत हैदरगढ़-रामसनेहीघाट मार्ग के चैनेज- 0.00 से 11.23 तक बायी पटरी पर NATURAL GAS PIPE LINE बिछाये जाने हेतु 0.5516 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी अर्थात् कुल- 1.0078 हे0 संरक्षित भूमि पर पी0डब्लू0डी0/एन0एच0आई0 का स्वामित्व है, किन्तु प्रबन्धन की दृष्टि से वन विभाग का स्वामित्व है।

प्रमाणित निदेशक
सा0 वा0 वन विभाग बाराबंकी
बाराबंकी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज हैदरगढ़

Se
R.H.

negb
उप प्रमाणित वन अधिकारी
उपवन प्रभाग रामसनेही घाट